

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 01.08.2024

गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 220/2024 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त रोहित उर्फ चकवा उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रोहित उर्फ चकवा उर्फ राजा पुत्र अनिल निवासी मिलेनियम सीटी करीम नगर थाना चिलुआतल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

- i. मु0अ0सं0- 220/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कैण्ट, गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0- 662/2023 धारा-379,411,420 भादवि थाना कैण्ट, गोरखपुर
- iii. मु0अ0सं0 638/2023 धारा 379,420 थाना कैण्ट, गोरखपुर
- iv. मु0अ0सं0- 66/2022 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट, गोरखपुर
- v. मु0अ0सं0- 151/2022 धारा 8/20 NDPS Act थाना कैण्ट, गोरखपुर
- vi. मु0अ0सं0- 152/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कैण्ट, गोरखपुर
- vii. मु0अ0सं0 196/2019 मे धारा 379,411 भादवी थाना कोतवाली, गोरखपुर
- viii. मु0अ0सं0 689/2018 धारा 379,411 भादवी थाना कैण्ट, गोरखपुर
- ix. मु0अ0सं0- 124/2018 धारा-60 आबकारी थाना राजघाट, गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रणधीर कुमार मिश्रा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजीत कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 अजय यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 अशोक कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. म0का0 पूजा यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर